संख्या-75/2019/1173/26-3-2019-10(4)/2019

प्रेषक,

सतीश कुमार
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 09 मार्च 2019

विषय:- **चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों (न्योतिनी जनपद-उन्नाव सिरसिया हेतिमपुर जनपद-कुशीनगर लक्ष्मीपुर पड़रौना जनपद-कुशीनगर बरवा मसौधा जनपद-फैजाबाद एवं कछौना जनपद-हरदोई) में ट्रांजिट हॉस्टल निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2620-22/स0क0/आ0प0वि0-प्रकोष्ठ (410)/ट्राँजिट हॉस्टल/2018-19 दिनांक-09.01.2019 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में अनुदान संख्या-83 में संचालित योजना राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय के निर्माण मद में चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि **रूपया-6500.00 लाख (रूपया पैंसठ करोड़ मात्र)** में से शासनादेश सं0-114/2015/आर0-110 वी0आई0पी0/26-3-2015-246 सी0एम0/2015 दिनांक 06 अक्टूबर 2015 में दी गयी व्यवस्था के दृष्टिगत समाज कल्याण विभाग के नियन्त्रणाधीन संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों को सी0बी0एस0ई0 बोर्ड से सम्बद्ध किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये विस्तृत निर्देश के आलोक में ट्रांजिट हॉस्टल के निर्माण हेतु निदेशक, समाज कल्याण विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों में से निम्नलिखित 05 प्रस्ताव पर कुल आगणित लागत रू0-1546.44 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में कुल धनराशि रू0-500.00 लाख की निम्नानुसार श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र. सं.	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय का नाम	आगणित धनराशि (लाख में)	स्वीकृति हेतु प्रस्तावित/विचारार्थ धनराशि (लाख में)
1	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय , न्योतनी, उन्नाव।	245.11	100.00
2	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, सिरसिया, हेतिमपुर, कुशीनगर।	283.81	100.00
3	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, लक्ष्मीपुर, पड़रौना, कुशीनगर ।	264.33	100.00
4	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, बरवा मसौधा, फैजाबाद।	312.09	100.00
	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, कछौना, हरदोई।	441.10	100.00
	योग	**1546.44**	**500.00**

(रूपये-पांच करोड़ मात्र)

1. उक्त स्वीकृत धनराशि निदेशक, समाज कल्याण उ0प्र0 द्वारा कार्यदायी संस्था के साथ एम0ओ0यू0 (अनुबंध) करने के बाद ही आहरित करके कार्यदायी संस्था उ0प्र0राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0 (यू0पी0सी0एल0डी0एफ0) को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे ताकि परियोजना की लागत में कास्ट ओवर रन की स्थिति पैदा न हो और निर्धारित समय के अनुसार कार्य पूर्ण कराया जा सके। धनराशि आहरित कर पी0एल0ए0 अथवा बैंक/डाकघर खाता में नहीं रखी जायेगी।
2. उक्त धनराशि का आहरण वास्तविक उपयोगितानुसार किया जायेगा। निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति का विवरण यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
3. प्रथम किश्त के 75 प्रतिशत उपयोग होने पर प्रशासकीय विभाग द्वारा निर्माण कार्य की द्वितीय किश्त 40 प्रतिशत तथा प्रथम और द्वितीय किश्त सम्मिलिति राशि के 75 प्रतिशत का उपयोग होने पर तीसरी किश्त के रूप में 15 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त करने पर विचार किया जायेगा। निर्माण कार्य की दूसरी एवं तीसरी किश्त निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति तथा अपेक्षित गुणवत्ता, यथास्थिति, नियंत्रक अधिकारी, विभागाध्यक्ष अथवा कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सत्यापित किये जाने के बाद जारी की जायेगी। बकाया 5 प्रतिशत राशि निर्माण

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

कार्य के पूर्ण होने, उसकी गुणवत्ता से संतुष्ट होने तथा तत्संबंधी सम्परीक्षित विस्तृत लेखा जोखा कार्यदायी संस्था से प्राप्त होने के बाद ही अवमुक्त की जायेगी। प्रश्नगत निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं मात्राओं के संबंध में कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी उत्तरदायी होगें।

4. उक्त प्रायोजना के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यो का निर्माण कार्य निर्धारित समय में पूर्ण करा लिया जाये। प्रश्नगत निर्माण कार्य के सम्बन्ध में नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाये। उक्त प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जाये।

5. उक्त प्रायोजना के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत हैं और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

6. उक्त प्रायोजना प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढाना, कार्यो के आकार/क्षेत्रफल में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यो की तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने से पूर्व विस्तृत डिजाइन/डाªइंग बनाते समय प्रयोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती हैं तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर 03 माह के अन्दर समिति का पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा ।

7. निर्माण कार्य हुते कार्यदायी संस्थाओं को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि की वित्तीय स्वीकृति में इस आशय का उल्लेख अनिवार्य रूप से किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा दो-दो माह की आवश्यकता के लिये आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जाय तथा कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिये पुनः आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जायेगी।

8. कार्यदायी संस्थाओं द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है, तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

9. कार्यदायी संस्था द्वारा अधिष्ठान व्यय वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेश के आलोक में लो0नि0वि0 द्वारा निर्धारित दर के अनुसार ही लिया जायेगा।

10. आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान सं0-83 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-''4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 07-राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय-24-बृहत् निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/ दस-2018-231/2018 दिनांक-30 मार्च 2018, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के पत्र संख्या-12/2018/बी-2-856/दस-2018-10/77 दिनांक-15 जून, 2018 एवं पत्र संख्या-14/2018/बी-2-898/दस-2018-10/77 दिनांक-23 जुलाई, 2018 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

सतीश कुमार
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृसं0-75/2019/1173(1)/26-3-2019 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1 महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)प्रथम उ0प्र0, इलाहाबाद।
2 महालेखाकार,(लेखा परीक्षा)प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3 मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
4 जिलाधिकारी,उन्नाव, कुशीनगर, फैजाबाद एवं हरदोई।
5 जिला समाज कल्याण अधिकारी, उन्नाव, कुशीनगर, फैजाबाद एवं हरदोई।
6 वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
7 वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
8 प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0 (यू0पी0सी0एल0डी0एफ0) लखनऊ।
9 निदेशक, एन0आई0सी0।
10 गार्डफाइल

आज्ञा से,

सतीश कुमार
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।